



POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 01-10-2024

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.10.2024 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा सीडीटी टीम के सहयोग से 02 चोर 1.सूरज पुत्र वशंराज 2.दीपक पुत्र संतविजय को पैरामाउंट सोसाइटी के गेट नम्बर-3 के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी 16 बीडी 5271 एवं अभियुक्त दीपक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस व अभियुक्त सूरज के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनके द्वारा दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, नोएडा आदि स्थानों में घूम-फिरकर चोरी की घटनाएं कारित की जाती है। बरामद मोटरसाइकिल अभियुक्तों ने मिलकर जुलाई के महीने में भंगेल से बैंक के सामने से चोरी की थी जिसके सम्बन्ध में थाना फेस-2 पर मु0अ0सं0 345/2024 पंजीकृत है। अभियुक्त पूर्व में भी हरियाणा व दिल्ली से चोरी के मुकदमें में जेल जा चुके हैं।

अभियुक्तों का विवरण--

1. सूरज पुत्र वशंराज निवासी पूरा अन्ती थाना महाराजगंज जिला जौनपुर वर्तमान पता ग्राम गुलिस्तानपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र 22 वर्ष।
2. दीपक पुत्र संतविजय निवासी ग्राम बुढावई सामदीपुर थाना महाहाजगंज जिला आजमगढ वर्तमान पता ग्राम गुलिस्तानपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

- अभियुक्त दीपक

1. मु0अ0सं0 1105/2018 धारा 380/457 भादवि थाना बल्लभगढ़ सिटी, फरीदाबाद हरियाणा।
2. मु0अ0सं0 459/2017 धारा 380/457 थाना बल्लभगढ़ सदर फरीदाबाद, हरियाणा।
3. मु0अ0सं0 48/2017 धारा 380/457 भादवि थाना भोपानी फरीदाबाद, हरियाणा।
4. मु0अ0सं0 910/2018 धारा 380/457 भादवि थाना बल्लभगढ़ सिटी फरीदाबाद, हरियाणा।
5. मु0अ0सं0 240/2018 धारा 380/457 भादवि थाना बल्लभगढ़ फरीदाबाद, हरियाणा।
6. मु0अ0सं0 564/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 354/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

- अभियुक्त सूरज

1. मु0अ0सं0 564/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 354/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की एक मोटरसाइकिल
2. अभियुक्त दीपक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस
3. अभियुक्त सूरज के कब्जे से 01 अवैध चाकू

2.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 32,44,968 रुपयों की धोखाधडी/ठगी करने वाले गैंग का 01 साइबर अपराधी गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 01/12/2023 को वादिया निवासी सेक्टर-15, नोएडा द्वारा थाना साइबर क्राइम पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्वयं के साथ धोखाधडी होने के संबंध में मु0अ0सं0-171/2023 धारा 420 भादवि व 66 डी आई.टी. एक्ट पंजीकृत कराया गया था जिसमें साइबर अपराधी द्वारा वादिया से इन्वेस्टमेंट के नाम पर निवेश कराकर मुनाफे के नाम पर 32,44,968 लाख रुपए की धोखाधडी की गयी थी।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.10.2024 को थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से कार्यवाही करते हुये इन्वेस्टमेंट के नाम पर 32,44,968 रुपयों की धोखाधडी/ठगी करने वाले गैंग का 01 साइबर अपराधी आदाब आलम पुत्र अंसार हुसैन को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथी अजय निवासी दिल्ली के साथ मिलकर मुनाफे देने के नाम पर लोगो से पैसा निवेश कराते है एवं प्राप्त रुपयों को आपस में वितरित कर लेते है। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अजय व अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त के खाते के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 21 शिकायते (तेलंगाना-05, तमिलनाडू-03, केरल-03, उत्तर प्रदेश-02, आन्ध्र प्रदेश-02, महाराष्ट्र-01, बिहार-01, गुजरात-01, हिमाचल प्रदेश-01, कर्नाटक - 01, उडीसा-01) का होना पाया गया है जिनके विषय में गहनता से जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही ।

नोट:- विवेचना में त्वरित कार्यवाही करते हुये वादिनी के लगभग 24,87,146 रुपये वापस कराये जा चुके है।

अभियुक्त का विवरण--

1. आदाब आलम पुत्र अंसार हुसैन निवासी नसीरपुर कुन्दरकी, थाना मैनाठेर, जनपद मुरादाबाद उम्र 29 वर्ष।